माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. सेखों, एस. एस. ग्रेवाल और अमरजीत चौधरी के समक्ष

*(*एफ. बी.*)*

कृष्ण लाल और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत का संघ अन्य का संघ-उत्तरदाता।

1990 की सिविल रिट याचिका संख्या ***11541***

4 मई, ***1994***।

भारतीय दंड संहिता ***1860-*** धारा ***107, 304-***ख और ***498***क-भारतीय साक्ष्य अधिनियम-धारा ***113-***ए और ***113-***बी-दहेज निषेध अधिनियम ***1961,*** जैसा कि ***1986*** के अधिनियम ***43*** द्वारा संशोधित किया गया है-धारा ***2-***दंड प्रक्रिया संहिता, ***1974-***धारा ***325-***दंड विधि *(*दूसरा संशोधन*)* अधिनियम संख्या ***1983*** का ***46-***भारत का संविधान, ***1950-***अनुच्छेद***14, 20, 20 (2) & (3)*** और ***21-***दहेज मृत्यु-एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के रूप में धारणा-भारतीय दंड संहिता की धारा ***304*** बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा ***113-4*** और ***113-***बी के अधिकार को कला का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई।***14, 20, ,20(2) & (3)*** और ***21-***आयोजित, उक्त प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य हैं।

अभिनिर्धारित किया गया कि यह किसी भी तरह से कल्पना से नहीं कहा जा सकता है कि धारा ***498-***ए या धारा ***113-***ए ने अन्य अपराधियों की तुलना में एक विवाहित महिला के साथ उसके पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा किए गए व्यवहार के लिए अपमानजनक खंडीकरण की शुरुआत की है।दूसरी ओर, ऐसी महिलाएं उस वर्ग से अलग होती हैं जो इस तरह के अपराध के लिए सात साल से अधिक समय पहले शादी कर लेती हैं क्योंकि विवाह और बच्चों के जन्म के बाद समय बीतने के साथ एक विवाहित महिला के साथ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का व्यवहार करने की संभावना कम होती है।इस प्रकार, वर्गीकरण उचित है और इसका उस उद्देश्य के साथ घनिष्ठ संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है अर्थात भारतीय सामाजिक व्यवस्था में दहेज की बुराई का उन्मूलन और यह सुनिश्चित करना कि विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक घर में गरिमा के साथ रहें।

*(*पैरा ***14)***

अभिनिर्धारित किया गया कि 'क्रूरता' शब्द का उपयोग भारतीय गुर्दे संहिता के स्पष्टीकरण ***113-***ए में उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है जिसे प्राप्त करने की आवश्यकता थी।इस प्रकार, साधारण शब्दकोश का अर्थ या 'क्रूरता' यह मानने के लिए लागू नहीं होगा कि इसकी व्याख्या कई तरीकों से अस्पष्ट है।

(पैरा ***15)***

अभिनिर्धारित किया गया कि एक विवाहित महिला के पति और पति के रिश्तेदार अपने आप में एक अलग वर्ग बनाते हैं और यह उचित वर्गीकरण के बराबर है, विशेष रूप से जब एक विवाहित महिला के साथ उसके पति के घर की चार दीवारों के भीतर क्रूरता का व्यवहार किया जाता है और कोई सबूत उपलब्ध होने की कोई संभावना नहीं है।नतीजतन,संहिता की खंड ***498-***ए को संविधान के अनुच्छेद ***14*** का अपमानजनक नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा ***15)***

अभिनिर्धारित किया गया कि खंड ***113-***ए के साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण आगे दर्शाता है कि 'क्रूरता' शब्द का वही अर्थ है जो संहिता की खंड ***498-***ए में है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा अन्यथा साबित नहीं किया जाता है,फिर भी यह ध्यान में रखते हुए कि पति या पति के अभिजात वर्ग द्वारा किसी विवाहित महिला के साथ क्रूरता की स्थिति में उसके वैवाहिक घर की चार दीवारों के भीतर किया जाता है और कोई सबूत उपलब्ध होने की कोई संभावना नहीं है, किसी महिला द्वारा उसके पति के

खिलाफ या पति के रिश्तेदारों द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के संबंध में कुछ तथ्यों के प्रमाण पर इस धारणा को मनमाना या निष्पक्ष प्रक्रिया या समानता के नियम का निषेध नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा 16)

अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की खंड *107* के खंड *3* में *"*जानबूझकर सहायता*"* करने वाला शब्द इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि एक विवाहित महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार निश्चित रूप से इसके दायरे में आएगा।विधायिका ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की खंड *113*-ए के प्रावधानों को शामिल करके अपने विवेक में वर्तमान समय की सामाजिक चुनौती को देखते हुए एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की परिभाषा के महत्व को और स्पष्ट किया था, जैसा कि फैसले के पहले भाग में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।इस प्रकार, यह कल्पना के किसी भी विस्तार से नहीं कहा जा सकता है कि खंड *113*-ए के प्रावधान भारतीय दंड संहिता की खंड *107* में निहित प्रावधानों के विरोधाभासी हैं।दूसरी ओर, इन्हें सामान्य कानून के तहत उपर्युक्त प्रावधानों का पूरक कहा जा सकता है।

(पैरा 18)

अभिनिर्धारित किया गया कि दहेज निषेध अधिनियम, *1961* की खंड *2* पर एक नंगी नज़र डालने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि न्यायालय केवल यह अनुमान लगाएगा कि पति या उसके संबंधियों ने दहेज हत्या की है यदि किसी विशेष मामले में यह साबित हो जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसी महिलाओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी भी दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था।इस प्रकार, *i,* यह प्रत्येक मामले में संबंधित न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए सबूत का मामला होगा कि ऐसी महिला

424- आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा *(1*आई*994) 2* को उसकी मृत्यु से तुरंत पहले दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके

संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था।

(पैरा 23)

अभिनिर्धारित किया गया कि धारा *113*-ख के प्रावधान यद्यपि प्रकृति में अनिवार्य हैं, केवल न्यायालय को उसमें उल्लिखित परिस्थितियों के प्रमाण पर दहेज मृत्यु का ऐसा अनुमान लगाने का आदेश देते हैं और यह दिखाने के लिए अभियुक्त पर जिम्मेदारी स्थानांतरित करने के बराबर है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति द्वारा उसके साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं किया गया था।यह अभियुक्त को अपने विकल्प का प्रयोग करना है कि क्या वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *325* के तहत प्रदान किए गए निचली अदालत में लिखित अनुरोध द्वारा से गवाह के रूप में पेश होना है या नहीं।यह उल्लेखनीय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *325* के परंतुक के खंड *(*बी*)* में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि साक्ष्य देने में उसकी विफलता को किसी भी पक्ष या न्यायालय द्वारा किसी भी टिप्पणी के अधीन नहीं किया जाएगा जो उसी मुकदमे में उसके या उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी धारणा को जन्म देता है।दहेज हत्या या आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे अभियुक्तों के लिए भी ये सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं।नतीजतन, इन प्रावधानों को भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* या अनुच्छेद *21* और अनुच्छेद *20 (3)* के प्रावधानों के अधिकार अधिकारातीत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आरोपी इस तरह की धारणा को दूर करने के लिए खुद को गवाह-बॉक्स में डालने के बजाय कुछ अन्य सबूत पेश कर सकता है।कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह नहीं कहा जा सकता है कि साक्ष्य का मूल्यांकन करने का न्यायालय का विवेकाधिकार छीन लिया गया है।

(पैरा 24)

अभिनिर्धारित किया गया कि धारा *304*-बी के प्रावधान विशिष्ट प्रकृति के हैं क्योंकि ये कारावास के अधिरोपण से संबंधित हैं जिसमें कहा गया है कि पति या पति के संबंध ने विवाहित महिला की मृत्यु का कारण बना था।इस प्रकार, कल्पना के किसी भी विस्तार से, इसे दोहरे खतरे का मामला नहीं कहा जा सकता है।नतीजतन, यह नहीं कहा जा सकता है कि ये प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद *20,* उपखंड *(2)* में निहित जनादेश का उल्लंघन करते हैं।

(पैरा 30)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि श्री गौर के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि विवाह के सात वर्षों के भीतर एक विवाहित महिला की मृत्यु और उस अवधि के बाद अन्य विवाहित महिला की मृत्यु के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप भेदभाव हुआ है।दूसरी ओर, यह एक अच्छी तरह से स्थापित वर्गीकरण है और इसका उस उद्देश्य के साथ सीधा संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है यानी दहेज से होने वाली मौतों की बुराई और खतरे पर अंकुश लगाना।इसी तरह दहेज मृत्यु का अनुमान लगाना या पति या

विवाहित महिला के पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज मृत्यु के लिए सजा का प्रावधान करना हत्या करने वाली पत्नियों या पति के संबंधों के अन्य अपराधियों के लिए एक अच्छा वर्गीकरण है।

(पैरा 31)

अभिनिर्धारित किया गया कि यह कहा जा सकता है कि आत्महत्या का प्रयास एक बड़ा अपराध है जबकि आत्महत्या के अपराध के लिए दुष्प्रेरण एक छोटा अपराध है।दूसरी ओर।आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण पूरी तरह से एक अलग अपराध है।चीजों की प्रकृति में।समिति द्वारा आत्महत्या के अपराध को संहिता के तहत एक मृत व्यक्ति के रूप में दंडनीय नहीं बनाया गया है जिसने आत्महत्या पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।इस प्रकार, आत्महत्या करने के प्रयास का सादृश्य संविधान के अनुच्छेद *21* में निहित स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण का अपराध भी संविधान के अधिकार अधिकारातीत है क्योंकि आत्महत्या करने का प्रयास संबंधित व्यक्ति का स्वैच्छिक और सुनियोजित कार्य है, जबकि आत्महत्या के अपराध के लिए उकसाना अलग-अलग स्तर पर है क्योंकि तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करके अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर रहा है।इस प्रकार, पी. रथिनम/नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ और एक अन्य जे. टी. *1994 (3)* एस. सी. *392* में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपात इस मामले की परिस्थितियों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है जिसमें कहा गया है कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद *14* और*21* के अधिकार अधिकारातीत हैं।

(पैरा 34)

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यू. डी. गौर, उनके साथ अधिवक्ता सुनील गौर।

एस. के. पीपत, प्रतिवादीओं के लिए केंद्र सरकार के वरिष्ठ स्थायी वकील।

जोगिंदर शर्मा, उनके साथ अधिवक्ता डी. डी. शर्मा, अतिरिक्त अधिवक्ता*C.G.S.C*।जे. सी. सेठी, एडिशनल।ए. जी, हरियाणा।

*(*माननीय न्यायाधीश श्री जे. एस. सेखों, माननीय न्यायाधीश श्री एस. एस. ग्रेवाल और माननीय न्यायाधीश श्री अमरजीत चौधरी की पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक *4* मई*, 1994)*

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. सेखों

1. इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ की सिफारिश पर, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा *304*-बी ओ *(*जिसे इसके बाद *'*संहिता*'* के रूप में संदर्भित किया गया है*)* और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-ए और *113*-बी की संवैधानिक वैधता के बारे में विवाद को संविधान के अनुच्छेद *14,20* और *21* की आड़ में संदर्भित किया है।हालांकि, खण्ड पीठ ने संदर्भ के आदेश में कोई विशिष्ट प्रश्न तैयार नहीं किया है।
2. क्योंकि विवाद विशुद्ध रूप से कानूनी है।केवल मामले के तथ्यों के साथ एक संक्षिप्त विवरण की आवश्यकता होती है।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट में, श्रीमती के बयान के आधार पर। ऐसा माना जाता है कि पूनम दिल्ली के तिलक नगर निवासी मेहर चंद की बेटी थी और उसकी शादी *27* जून, *1985* को फरीदाबाद निवासी कृष्ण कुमार के बेटे अनिल कुमार से हुई थी।शादी के मौके पर उसके माता-पिता ने दहेज दिया था।उनकी स्थिति के अनुसार।शादी के लगभग *6* या *7* महीने बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके छोटे भाई गिरीश कुमार की बिजली के झटके से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी।उनकी बड़ी बहन सुरिंदर नागपाल की शादी फरीदाबाद में हुई है।उसकी शादी के बाद उसे एक बेटी का आशीर्वाद मिला जिसकी घटना की तारीख को लगभग *4* साल की है।उस समय, वह लगभग *5/6* महीने की गर्भावस्था भी ले रही थी।उसकी शादी के तुरंत बाद उसकी सास कमला देवी, ससुर कृष्ण कुमार और बड़े जीजा दिनेश कुमार ने कम दहेज लाने के कारण उसके साथ दुर्व्यवहार और चिढ़ाना शुरू कर दिया।उक्त तीन व्यक्तियों द्वारा उसका उत्पीड़न भी किया गया था।उसे उसके ससुर कृष्ण कुमार द्वारा पीटा गया था और उसे अपना वैवाहिक घर छोड़ने और फरीदाबाद में स्थित उसके माता-पिता के घर पर कब्जा करने के लिए मजबूर किया जा रहा था।उसने अपनी बहन सुरिंदर नागपाल और फरीदाबाद में उसके पति को इस घटना के बारे में सूचित किया।उन्होंने आरोपी व्यक्तियों को मृतक को परेशान नहीं करने के लिए राजी किया।इसके बाद,उन्होंने उसके पति अनिल कुमार से भी बात की, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने माता-पिता और बड़े भाई की इच्छा के खिलाफ जाने के लिए अपनी असहायता व्यक्त की।उन्होंने आगे उन्हें

बताया कि अगर मृतक उसके घर में रहना चाहता है तो उसे उसके माता-पिता की मांगों को स्वीकार करना होगा।आरोपी व्यक्तियों ने एक स्कूटर और उसके माता-पिता के घर के कब्जे की मांग करना शुरू कर दिया।उनकी मांग को पूरा करने में विफल रहने पर सभी अभियुक्तों ने उनके पति से ट्रक भी छीन लिया, जो उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत था।एक बार वह रुपये ले आई। उसकी माँ से *7,000* और उसके ससुराल वालों को राशि दी।घटना के दिन, दहेज के सवाल पर अपने ससुर, सास और अपने बड़े जीजा द्वारा परेशान किए जाने के बाद, उसने मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को आग लगा ली और आत्महत्या करने का प्रयास किया।इस बीच, उसकी बहन सुरिंदर नागपाल भी सौभाग्य से वहां पहुंची और उसे अस्पताल ले गई।श्रीमती. झुलसने से घायल पूनम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

4. जाँच पूरी होने के बाद, सभी अभियुक्तों को इस तरह के आरोपों पर मुक़दमे के लिए भेज दिया गया।यह मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था।विद्वान सत्र न्यायाधीश।फरीदाबाद।— *26* अप्रैल के उनके आदेश को देखें। *1990* में, सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा *498*-ए और *304*-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किया गया।आरोप तय करने के आदेश की समीक्षा के लिए अभियुक्त याचिकाकर्ताओं के आवेदन को *28* जुलाई, *1990* को खारिज कर दिया गया था।
5. इन परिस्थितियों में सभी अभियुक्त-संलग्नककर्ताओं ने संहिता की धारा *304*-बी और के. डी. बी. एन. साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-ए और *113-B* की वैधता को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत इस सिविल रिट संलग्नक को छिपाया।संलग्नककर्ताओं के साथ-साथ आदेश संलग्नक निचली अदालत के *28* जुलाई, *1990* के पी-*4* ने आरोप तय करने के अपने पहले के आदेश की समीक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया।
6. याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अधिकारों को इस आधार पर चुनौती दी है कि ये प्रावधान कानून के समक्ष समानता के अधिकार और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित संविधान के अनुच्छेद *14* की भावना का उल्लंघन करते हैं, साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-ए और *113*-बी के तहत आत्महत्या और दहेज मृत्यु के लिए दुष्प्रेरण की वैधानिक धारणा को हटाने के लिए आरोपी को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर करने वाले अनुच्छेद *20* के खंड *(3)* के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं को अनुचित, अन्यायपूर्ण, मनमाना, काल्पनिक और कानून द्वारा निर्धारित दमनकारी प्रक्रिया के आधार पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करके संविधान के अनुच्छेद *21* के जनादेश का भी उल्लंघन करते हैं।यह भी माना गया कि संहिता की खंड *304*-बी में उल्लिखित 'क्रूरता' और 'उत्पीड़न' शब्द भ्रामक हैं और एक विवाहित महिला की शादी के सात साल के भीतर अन्य कारणों से अप्राकृतिक मृत्यु होने की संभावना आरोपी की समझ से परे है, जिसके परिणामस्वरूप पति या पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज मृत्यु की धारणा इस अस्पष्ट दावे पर उठाई जाएगी कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में उत्पीड़न या क्रूरता का सामना करना पड़ा था।
7. प्रतिवादी संख्या *1* की ओर से भारत सरकार के गृह मंत्रालय में डेस्क अधिकारी श्री एस. शिव कुमार द्वारा दायर रिटर्न में कहा गया है कि याचिका गलत तथ्यों पर दायर की गई है और कुछ परिस्थितियों में पति या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ अपराध की धारणा को उठाने के प्रावधान पर संविधान के अनुच्छेद *15 (3)* के तहत संवैधानिक रूप से अनुमत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों की प्रकृति में विचार किया जा सकता है, जो हमारे समाज में आर्थिक, सामाजिक और अन्य असमानताओं को ध्यान में रखते हुए और दहेज मृत्यु की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए है।इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि डव्नी की बुराई ने अपने जाल को छलांग और सीमा तक फैला दिया है और यहां तक कि शिक्षा के प्रसार ने दहेज के संबंध में समाज के दृष्टिकोण को उदार बनाने में मदद नहीं की है।इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में शिक्षित समाज में भी इस तरह की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है।कई मामलों में, लड़के की उच्च शिक्षा दहेज की मांग को अधिक करती है।इन परिस्थितियों में विधानमंडल ने विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के साथ-साथ दहेज से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए संहिता की धारा *498*-ए और *304*-बी के विशेष प्रावधानों को लागू करना उचित समझा।यह भी कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-ए और *113*-बी के प्रावधान पूरी तरह से संवैधानिक थे क्योंकि ये केवल अपराधी के खिलाफ कुछ तथ्यों के प्रमाण पर खंडन योग्य अनुमान लगाते हैं और इसका खंडन करने की जिम्मेदारी अपराधी पर डाल दी जाती है।इस प्रकार, यह बनाए रखा जाता है कि एक विवाहित महिला का वर्गीकरण जो उसकी शादी के सात वर्षों के भीतर इस बात के प्रमाण पर मृत्यु हो जाती है कि पति या उसके रिश्तेदारों ने उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है और उसका उस उद्देश्य के साथ संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है यानी दहेज से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाना।
8. विद्वान अधिवक्ता स्पष्टीकरण के खंड *(ए)* में उल्लिखित 'जानबूझकर आचरण' शब्द व्यापक रूप से व्याख्या करने में सक्षम हैं और इस प्रकार परिभाषा मनमाना है।यह भी कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा *498*-ए और *304*-बी के प्रावधानों में पति और पति के अन्य रिश्तेदारों के बीच स्त्री के साथ क्रूरता का व्यवहार करने वाले अन्य

व्यक्तियों के बीच अविभाज्य वर्गीकरण का परिचय दिया गया है जो महिला के साथ उसके विवाह के सात साल से अधिक समय के बाद क्रूरता का व्यवहार कर सकते हैं।तदनुसार, यह बनाए रखा जाता है कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई उचित तर्क या सांठगांठ नहीं है, यानी विवाहित महिला को क्रूरता के साथ व्यवहार करने से बचाना।इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है।यह भी कहा गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-ए और *113*-बी अभियुक्त पर आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों को नकारते हुए अपनी बेगुनाही साबित करने का बोझ डालती है कि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि वह उचित संदेह से परे साबित न हो जाए।

9. श्री एस. के. पीपत, वरिष्ठ केंद्र सरकार।श्री जोगिंदर शर्मा के साथ स्थायी वकील।अधिवक्ता और केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के साथ-साथ श्री जे. सी. सेठी भी।अतिरिक्त महाधिवक्ता।दूसरी ओर, हरियाणा ने कहा कि पति या पति के रिश्तेदारों का एक विवाहित महिला के साथ उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर अन्य अपराधियों के साथ क्रूरता का व्यवहार करना उचित है और इसका उद्देश्य के साथ घनिष्ठ संबंध है, अर्थात विवाहित महिला को पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के साथ व्यवहार करने से रोकना ताकि उसे या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सके, या ऐसी मांग को पूरा करने में उसकी विफलता के कारण।

10. संहिता की खंड *498*-ए के प्रावधानों को *1983* के आपराधिक अधिनियम द्वितीय संशोधन संख्या *46* की खंड *2* के माध्यम से अध्याय *XXA* को अंतःस्थापित करके क़ानून की पुस्तक में लाया गया था, जिसे *25* दिसंबर को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली थी। *1983* जो इस प्रकार हैः—

> *"498*-एक महिला का पति या पति का रिश्तेदार जो किसी महिला के पति या पति का रिश्तेदार होने के नाते ऐसी महिला को क्रूरता के अधीन करता है।
>
> क्रूरता के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो तीन साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

व्याख्याःइस खंड के प्रयोजन के लिए 'क्रूरता' का अर्थ है -

1. ऐसा कोई जानबूझकर किया गया आचरण जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) के लिए गंभीर चोट या खतरा पैदा करता है; या

2. महिला का उत्पीड़न जहां इस तरह का उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से है या उसकी या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण है।"

11. उक्त संशोधन अधिनियम के अनुसार, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा *174,176* सहायता *198*-ए को दण्ड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची के संशोधन के अलावा संशोधित या जोड़ा गया था।भारतीय साक्ष्य अधिनियम में खंड *113* के बाद खंड *113*-ए डालने के रूप में भी संशोधन किया गया था, जिसमें एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अनुमान लगाया गया था।खंड *113*-क के प्रावधान निम्नानुसार हैंः—

> *"113*-एःविवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की धारणा
>
> जब यह प्रश्न किया जाता है कि क्या किसी महिला द्वारा आत्महत्या करने के लिए उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा उकसाया गया था और यह दिखाया जाता है कि उसने अपनी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली थी और उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया था, तो अदालत मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार द्वारा की गई थी।
>
> व्याख्याःइस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'क्रूरता' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (*1860* का *45*) की खंड *498*-ए में है।(जोर दिया गया)।

12. इसमें कोई संदेह नहीं है कि साक्ष्य अधिनियम की खंड *113*-ए के अधिकार इस रिट याचिका में सीधे जारी नहीं हैं क्योंकि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध के लिए कोई आरोप नहीं बनाया गया है, फिर भी सभी चूँकि श्री गौर ने

इस खंड के प्रावधानों पर विस्तार किया था, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की खंड *113*-बी के प्रावधानों की तुलना में एक खंडन योग्य अनुमान लगाया गया था, जिसमें अभियुक्त के खिलाफ नौ कर्तव्यपूर्ण अनुमान लगाए गए थे, इसलिए उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान देने योग्य माना जाता है।

13. आपराधिक कानून *(*दूसरा संशोधन*)* अधिनियम *ISO* लागू करने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण।*1983* का *io* नीचे पढ़ा गया हैः—

> "दहेज हत्याओं की बढ़ती संख्या गंभीर चिंता का विषय है।दहेज निषेध अधिनियम, *19*बीएल के कार्य की जांच करने के लिए सदनों की संयुक्त समिति द्वारा इस बुराई पर टिप्पणी की गई है।पति और पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामले, जो संबंधित असहाय महिला द्वारा आत्महत्या या हत्या में परिणत होते हैं, ऐसी क्रूरता से जुड़े मामलों का केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं, इसलिए, भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि न केवल दहेज मृत्यु के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके, बल्कि विवाहित महिलाओं के साथ उनके ससुराल वालों द्वारा क्रूरता के मामलों से भी निपटा जा सके।*"*

14. इस प्रकार, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि विधानमंडल ने विवाहित महिला के प्रति उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता पर अंकुश लगाने के लिए कानून में संशोधन आदेश का प्रयास किया है, जो संबंधित असहाय महिला द्वारा आत्महत्या या हत्या में परिणत हो सकता है।यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि आपराधिक कानून और प्रक्रिया के नियम का यह संशोधन सामाजिक चुनौती का सामना आदेश के लिए आवश्यक था ताकि विवाहित महिलाओं को पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दुर्व्यवहार या आत्महत्या आदेश के लिए मजबूर होने से बचाया जा सके, ताकि आम तौर पर उसे अधिक दहेज लेने के लिए मजबूर किया जा सके या ऐसा आदेश से इनकार आदेश पर खुद को मार डाला जा सके, यह देखते हुए कि एक अविवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार आमतौर पर उसके वैवाहिक घर की चार दीवारों के भीतर सीमित होता है जो अधिकांश मामलों में उसके माता-पिता के घर से बहुत दूर स्थित होता है और किसी भी सबूत की उपलब्धता की कोई संभावना नहीं होती है।विधायिका ने अपने विवेक से धारा *113*-ए को उचित रूप से अधिनियमित किया है, जिसमें पति या पति के रिश्तेदारों के खिलाफ शादी के सात साल की अवधि के भीतर एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अनुमान लगाया गया है, यदि उसके पति या ऐसे संबंध द्वारा उसे अधिक दहेज लेने के लिए मजबूर करने या ऐसा करने से इनकार करने के लिए उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है।इस प्रकार, यह कल्पना के किसी भी विस्तार से नहीं कहा जा सकता है कि धारा *498*-ए या खंड *113*-ए ने एक विवाहित महिला के साथ उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा अन्य अपराधियों के साथ व्यवहार के लिए अपमानजनक खंडीकरण की शुरुआत की है।दूसरी ओर, ऐसी महिलाएं एक अलग वर्ग बनाती हैं ऐसा अपराध करने के लिए सात साल से अधिक समय पहले विवाह करने वाला व्यक्ति, क्योंकि विवाह और बच्चों के जन्म के बाद समय बीतने के साथ दूरदराज के लोग होते हैं, अर्थात् किसी विवाहित महिला के साथ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का व्यवहार करना।इस प्रकार, वर्गीकरण उचित है और इसका उस उद्देश्य के साथ घनिष्ठ संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है अर्थात भारतीय सामाजिक व्यवस्था में दहेज की बुराई का उन्मूलन और यह सुनिश्चित करना कि विवाहित महिला अपने वैवाहिक घर में गरिमा के साथ रहे।

15. श्री गौर के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि संहिता की धारा *498*-ए के तहत संलग्न स्पष्टीकरण में *'*क्रूरता*'* की परिभाषा अस्पष्ट है क्योंकि खंड *(*ए*)* के अवलोकन से पता चलेगा कि अभियोजन पक्ष को सबसे पहले अपराधी के जानबूझकर किए गए आचरण को स्थापित करना होगा, दूसरा यह कि इस तरह के आचरण की प्रकृति एक महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या जीवन या अंग *(*चाहे मानसिक या शारीरिक*)* के लिए गंभीर चोट या खतरा पैदा करने की संभावना थी।इस प्रकार,किसी विशेष मामले की परिस्थितियों में न्यायालय की संतुष्टि के लिए इन तथ्यों के प्रमाण पर यह माना जाएगा कि पति या पति के रिश्तेदारों ने महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है।जानबूझकर किए गए आचरण का मतलब निश्चित रूप से ऐसी महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करने का उद्देश्य स्थापित करना है।इस तरह के आचरण की गंभीरता स्पष्टीकरण के खंड *(*ए*)* के शब्दों में भी परिलक्षित होती है कि इस तरह के आचरण से किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या किसी महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य *(*चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक*)* के लिए गंभीर चोट या खतरा पैदा होने की संभावना होनी चाहिए।नतीजतन, खंड *(*ए*)* के तहत परिभाषा को अस्पष्ट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह पत्नी और पति या उनके रिश्तेदारों के बीच मामूली मतभेदों को खारिज करता है।खंड *(*बी*)*, *'*धोखाधड़ी*'* की परिभाषा एक विवाहित महिला के उत्पीड़न से संबंधित है ताकि उसे या उसके किसी संबंधित व्यक्ति को दहेज की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए या किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए या उसकी विफलता या उसके किसी संबंधित व्यक्ति की विफलता के

कारण उत्पीड़न किया जा सके।इस प्रकार, किसी विशेष मामले के दिए गए तथ्यों पर न्यायालय को सबसे पहले यह राय बनानी होगी कि वास्तव में इस तरह के उत्पीड़न का एक विवाहित महिला को उसके पति या पति के रिश्तेदारों की किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए घनिष्ठ संबंध है।इसके बाद उसके साथ क्रूरता से व्यवहार करने की धारणा उत्पन्न होगी।जाहिर है, विधानमंडल ने उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 'क्रूरता' शब्द को परिभाषित किया है जिसे प्राप्त करने की आवश्यकता थी।इस प्रकार, 'क्रूरता' का सामान्य शब्दकोश अर्थ यह मानने के लिए लागू नहीं होगा कि यह अस्पष्ट है, जिसकी व्याख्या कई रूपों में की जा रही है।संविधान का अनुच्छेद *14*सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करता है और अनिवार्य भेदभाव समानता के लिए अप्रिय है।इस प्रकार पति और

एक विवाहित कीड़ा के पति के रिश्तेदार अपने आप में एक अलग वर्ग बनाते हैं और यह उचित वर्गीकरण के बराबर है, विशेष रूप से जब एक विवाहित महिला के साथ उसके पति के घर की चार दीवारों के भीतर क्रूरता का व्यवहार किया जाता है और किसी भी सबूत के उपलब्ध होने की कोई संभावना नहीं है।नतीजतन, संहिता की धारा *498*-ए को संविधान के अनुच्छेद *14* का अपमानजनक नहीं कहा जा सकता है।

16. चाहे साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-ए का प्रावधान अभियुक्त को अपने खिलाफ गवाह के रूप में पेश होने के लिए मजबूर करके अनुच्छेद *21* या अनुच्छेद *20 (3)* के तहत प्रदान किए गए जीवन के अधिकार और निष्पक्ष प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, यह कहा गया कि इसे अन्यायपूर्ण, अनुचित या मनमाना प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पति या पति के रिश्तेदारों के खिलाफ एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का खंडन करने योग्य अनुमान लगाया जाना चाहिए, यदि यह तथ्यों पर साबित होता है कि उसने अपनी शादी के सात वर्षों के भीतर आत्महत्या की थी और उसके पति या पति के ऐसे संबंध ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया था और मामले की अन्य परिस्थितियों के संबंध में अदालत यह मान सकती है कि ऐसी आत्महत्या पति या पति के ऐसे रिश्तेदार द्वारा की गई है।इस धारा *113*-ए से जुड़े स्पष्टीकरण से आगे पता चलता है कि 'क्रूरता' शब्द का वही अर्थ है जो संहिता की धारा *498*-ए में है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा अन्यथा साबित नहीं किया जाता है, फिर भी यह ध्यान में रखते हुए कि पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा किसी विवाहित महिला के साथ क्रूरता की स्थिति उसके वैवाहिक घर की चार दीवारों के भीतर की जाती है और कोई सबूत उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, किसी महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ या पति के रिश्तेदारों द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के संबंध में कुछ तथ्यों के प्रमाण पर यह धारणा मनमाना या निष्पक्ष प्रक्रिया के नियम-या समानता का निषेध नहीं कहा जा सकता है।श्री गौर ने तर्क दिया कि ऐसी संभावना हो सकती है कि महिला कुछ परिस्थितियों के कारण पति या उसके रिश्तेदारों की जानकारी से परे भी आत्महत्या कर सकती है, फिर भी इस धारणा के कारण आत्महत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि उनके लिए इस धारणा का खंडन करना असंभव होगा।उन्होंने आगे तर्क दिया कि इस खंड के प्रावधान संहिता की धारा *107* में दुष्प्रेरण की परिभाषा के खिलाफ हैं।

17. साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-ए के तहत एक विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए इस तरह की धारणा बनाने के लिए इस तर्क में कोई बल नहीं है, उपरोक्त निर्दिष्ट प्रावधानों में ही अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं।"मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए" शब्द, संबंधित न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए व्यापक शक्तियां देते हैं कि क्या ऐसा है।था।कुछ अन्य बाहरी कारण जो एक महिला को सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे कि विवाह की तारीख से पहले, लोडे की दुष्प्रेरण *107* में कहा गया हैः—

"*107.*एक टनिंग का एयूटमेंट।—एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है, जो पहले किसी व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए उकसाता है; या दूसरा।—एक या एक से अधिक व्यक्तियों को किसी भी साजिश में शामिल आदेशता है या मैं उस साजिश को आदेश रहा हूं, यह एक ऐसा कार्य है जिसमें अवैध रूप से आदेशों को हटा दिया गया है और जो उस साजिश का अनुसरण आदेशता है, या

तीसरी बात।—जानबूझकर किसी कार्य या अवैध चूक द्वारा उस कार्य को करने में सहायता करता है।

व्याख्याः*1.* एक व्यक्ति, जो जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके, या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छा से किसी काम को करने का कारण बनता है या प्राप्त

करता है, या करने का प्रयास करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे उस काम को करने के लिए उकसाया जाता है।

चित्रण

A, एक लोक अधिकारी, *Z, B* को पकड़ने के लिए न्यायाधीशालय के वारंट द्वारा अधिकृत है, यह जानते हुए कि *C, Z* नहीं है, जानबूझकर *A* का प्रतिनिधित्व करता है कि *C, Z* है, और इस तरह जानबूझकर *A* को *C* को पकड़ने का कारण बनता है।

व्याख्याः*2.* कहा जाता है कि जो कोई भी, किसी अधिनियम के लागू होने से पहले या उसके समय, उस अधिनियम के लागू होने को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ भी करता है और इस तरह उसके लागू होने को सुविधाजनक बनाता है, वह उस अधिनियम को आदेश में सहायता करता है।"

18. भारतीय दंड संहिता की धारा *107* के खंड *3* में "जानबूझकर सहायता" शब्द यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि एक विवाहित महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार निश्चित रूप से इसके दायरे में आएगा।विधानमंडल ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की खंड *113*-ए के प्रावधानों को शामिल करके अपने विवेक में वर्तमान समय की सामाजिक चुनौतियों को देखते हुए एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की परिभाषा के महत्व को और स्पष्ट किया था, जैसा कि फैसले के पहले भाग में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।इस प्रकार, यह किसी भी तरह से कल्पना से नहीं कहा जा सकता है कि धारा *113*-ए के प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा *107*में निहित प्रावधानों के विपरीत हैं।दूसरी ओर, इन्हें सामान्य कानून के तहत उपर्युक्त प्रावधानों का पूरक कहा जा सकता है।

19. पोलुवरपु सत्यनारायणा उपनाम नारायण बनाम पोलवरपा सौंदर्यवल्ली और दो अन्य मामलों में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा *498*-ए औरभारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-ए की शक्तियों को बरकरार रखते हुए कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा *498*-ए के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के खंड *(ए)*के तहत, यह जानबूझकर किया गया आचरण है जिसे दंडनीय बनाया गया है।यह भी रेखांकित किया गया है कि 'जानबूझकर आचरण' वाक्यांश सटीक परिभाषा देने में सक्षम नहीं है, लेकिन निर्णय के पैरा *7* में निम्नानुसार अवलोकन करके प्रावधानों को अस्पष्ट प्रकृति का नहीं कहा जा सकता हैः—

"इस संदर्भ में, हमें धारा *498*-ए से जुड़े स्पष्टीकरण की जांच करनी होगी। जैसा कि देखा गया है, स्पष्टीकरण के खंड *(ए)* के तहत यह जानबूझकर किया गया आचरण है जिसे दंडनीय बनाया गया है।'जानबूझकर आचरण' वाक्यांश सटीक परिभाषा देने में सक्षम नहीं है।मानवीय सरलता ऐसी है कि एक विवाहित महिला को उसके बहुमूल्य जीवन को समाप्त करने के चरम पर ले जाने के लिए कई रूप तैयार किए जा सकते हैं।वैवाहिक समाज और युद्ध गृह दूसरों के लिए दुर्गम क्षेत्र हैं और पति के लिए अनन्य क्षेत्र और उसके रिश्तेदारों के लिए सुलभ निवास हैं।अपरिष्कृत शारीरिक चोट या हानि से लेकर बौद्धिक अहंकार वाले सूक्ष्म उपकरणों को एक विवाहित महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न करने में लगाया जा सकता है।प्रत्येक मामले का निर्णय प्रस्तुत और सिद्ध तथ्यों के आलोक में किया जाना है।खंड *(ख)* के तहत, यदि महिला का उत्पीड़न किसी गैरकानूनी मांग या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी संपत्ति को पूरा करने के लिए उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर उसे मजबूर करने की दृष्टि से है या उसकी या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण है, तो इसे खंड के मुख्य भाग के तहत दंडनीय क्रूरता के रूप में परिभाषित किया गया है।व्याख्या केवल कुछ तथ्यों की व्याख्या करती है जो 'क्रूरता' शब्द में छिपे हुए हैं।खंड *498*-ए के स्पष्टीकरण के खंड *(बी)* के तहत उत्पीड़न ने 'क्रूरता' शब्द को भी अपने दायरे में लाया।जब 'क्रूरता' शब्द को इस संदर्भ में पढ़ा जाता है और उन ऐतिहासिक परिस्थितियों को पढ़ा जाता है जिनके कारण विधानमंडल को अधिनियम की खंड *498*-ए लाने की आवश्यकता होती है, तो हम कोई अस्पष्टता नहीं पाते हैं और न ही अस्पष्ट प्रतीत होते हैं।इसलिए ऐसा नहीं है।

(1) 1987 (3) अपराध *471*।

मनमाना, न अस्पष्ट, न अनिश्चित।यह मनमाना होने के नाते संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन नहीं है।"

20. फिर सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-बी के प्रावधान विवाहित महिला, जिसकी अप्राकृतिक मृत्यु हो गई थी, की अप्राकृतिक मृत्यु के संबंध में पति या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज मृत्यु के निर्विवाद अनुमान को जन्म देते हैं, यदि यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु के तुरंत बाद उसे उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा या दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता का सामना करना पड़ा है या यह कि यह अनुच्छेद *21* में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के शासन के विपरीत है या अनुच्छेद *14* के जनादेश के खिलाफ है और अभियुक्त के अपने खिलाफ गवाह नहीं बनने के अधिकार का उल्लंघन करता है।अनुच्छेद *20 (3)*।

21. विधानमंडल ने अपने विवेक से दहेज मृत्यु के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए कानून की पर्याप्तता से संतुष्ट नहीं होने के कारण न केवल दहेज की परिभाषा में संशोधन किया, बल्कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-बी को शामिल करके दहेज मृत्यु के रूप में अनुमान प्रदान करने के अलावा धारा *304*-बी को भी जोड़ा। धारा*113*-ख के प्रावधान निम्नानुसार हैंः—

> "*113-B.* दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान।जब यह प्रश्न किया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, तो न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या की थी।
>
> स्पष्टीकरण।—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की खंड *304*-बी (आई*860* का *45)* में है।"

22. दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम संख्या *1986* का *43,19* नवंबर, *1986* से लागू हुआ।दहेज निषेध अधिनियम, *1961* की धारा *2* में दहेज की परिभाषा, जैसा कि संशोधित किया गया है, निम्नानुसार हैः—

> "*2.* "दहेज" की परिभाषा।—इस अधिनियम में, "दहेज" का अर्थ है कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है या देने के लिए सहमत होती है।—

1. विवाह के लिए एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ विवाह*;* या

2. विवाह के किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को, उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में (या विवाह के बाद किसी भी समय) (लेकिन इसमें शामिल नहीं है) दहेज या महर उन व्यक्तियों के मामले में जिनके लिए मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) लागू होता है।

> स्पष्टीकरण *1 (* * *)*
>
> स्पष्टीकरण *II*-यह अभिव्यक्ति "मूल्यवान सुरक्षा" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की खंड *30 (I860* का *45)* में है।"

23. उसी पर एक नंगी नज़र डालने से इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय केवल यह मान लेगा कि पति या उसके रिश्तेदार ने दहेज हत्या की है यदि किसी विशेष मामले में,यह साबित हो जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले, ऐसी महिलाओं को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के द्वारा या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था।इस प्रकार, संबंधित न्यायालय के लिए प्रत्येक मामले में यह निष्कर्ष निकालना साक्ष्य का विषय होगा कि ऐसी महिला को उसकी मृत्यु से तुरंत पहले दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था।

24. भारतीय दंड संहिता की धारा *304*-बी के प्रावधान में विवाहित महिला की दहेज हत्या के मामले में सजा का प्रावधान है।यह अभियुक्त को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अंतर्निहित सुरक्षा प्रदान करता है कि वह दहेज मृत्यु का दोषी है।यह नीचे लिखा हैः—

> "*304-B.* दहेज मृत्यु।—*(1)* जहां किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके

संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार किया गया था, ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण।—-इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, *1961 (1961* का *28)* की धारा *2* में है।

(2) जो कोई भी दहेज हत्या करता है, उसे सात साल से कम की अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है।"उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रावधानों के एक नंगे अवलोकन से कोई संदेह नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को दहेज मृत्यु के अपराध के लिए सजा दिए जाने से पहले किसी विशेष मामले में, अभियोजन या शिकायतकर्ता को पहले यह साबित करना होगा कि महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट से हुई है या सामान्य परिस्थितियों से अलग हुई है, दूसरा, कि यह उसकी शादी के सात साल के भीतर हुई थी और तीसरा कि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले, उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था।तथ्य यह है कि भारतीय दंड संहिता की खंड *304*-बी के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास है और हत्या के लिए अत्यधिक मौत की सजा का प्रावधान किया गया है, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विधानमंडल ने दहेज मृत्यु की सजा के मामले में आरोपी को उचित भत्ता दिया है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-ए के तहत, एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की धारणा को दूर करने की जिम्मेदारी आरोपी पर स्थानांतरित की जाती है।इसी तरह, धारा *113*-बी के प्रावधान हालांकि प्रकृति में अनिवार्य हैं, केवल न्यायालय को उसमें उल्लिखित परिस्थितियों के प्रमाण पर दहेज मृत्यु की ऐसी धारणा बनाने का आदेश देते हैं और यह दिखाने के लिए अभियुक्त पर जिम्मेदारी स्थानांतरित करने के बराबर है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति द्वारा उसके साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं किया गया था।यह अभियुक्त को अपने विकल्प का प्रयोग करना है कि क्या वह दंड प्रक्रिया संहिता की खंड *325* के तहत प्रदान किए गए निचली अदालत में लिखित अनुरोध द्वारा से गवाह के रूप में पेश होना है या नहीं।यह ध्यान देने योग्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड *315* के परंतुक के खंड *(*बी*)* में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि साक्ष्य देने में उसकी विफलता को किसी भी पक्ष या न्यायालय द्वारा किसी भी टिप्पणी के अधीन नहीं किया जाएगा जो उसी मुकदमे में उसके या उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी अनुमान को जन्म देता है।दहेज हत्या या आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे अभियुक्तों के लिए भी ये सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं।नतीजतन, इन प्रावधानों को भारत के संविधान के अनुच्छेद *14* या अनुच्छेद *21* और अनुच्छेद *20 (3)* के प्रावधानों के अधिकार अधिकारातीत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभियुक्त इस तरह की धारणा को दूर करने के लिए खुद को गवाह-प्रपत्र में डालने के बजाय कुछ अन्य साक्ष्य पेश कर सकता है।कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह नहीं कहा जा सकता है कि साक्ष्य का मूल्यांकन करने का न्यायालय का विवेकाधिकार छीन लिया गया है।

25. "एमडेन बनाम यू. पी. राज्य", *(2)* में सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1947* की खंड *4 (1)* के तहत एक मामले में अभियुक्त के खिलाफ अनुमान साक्ष्य की वैधता पर विचार किया।

*(^*ए. टी. आर. *1960* एस. सी. *548.)* संविधान का अनुच्छेद *14*यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधानमंडल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की खंड *5 (1)* की संहिता की धारा *161,165* के दायरे में लाए गए लोक सेवकों के एक खंड को अलग करने के लिए अपनाया गया आधार पूरी तरह से तर्कसंगत आधार है, जो बोधगम्य अंतर पर आधारित है और विवादित खंड द्वारा कवर किए गए व्यक्तियों के खंड को अन्य खंडों के व्यक्तियों से अलग करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है, जिन पर अन्य अपराध करने का आरोप है।इसके अलावा इसका उस उद्देश्य के साथ उचित संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है अर्थात लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार का उन्मूलन।यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह समानता खंड के खिलाफ नहीं है।

26. "गुरदिट्टा सिंह बनाम राजस्थान राज्य" *(3)* मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ भारतीय दंड संहिता की खंड *304*-बी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की खंड *113*-बी के प्रावधानों पर विचार करते हुए कहा कि दहेज हत्या का अनुमान लगाने या आरोपी को इस तरह के अपराध के लिए दोषी ठहराने से पहले इन प्रावधानों में ही आरोपी के लिए पर्याप्त अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं क्योंकि अदालतों को सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है क्योंकि ऐसे मामले दुर्लभ नहीं होते हैं जिनमें कभी-कभी मांग होती है और फिर माहौल शांत और शांत हो जाता है और फिर फिर से मांग होती है।यह आगे टिप्पणी की गई कि जहां एक पत्नी की शादी के सात साल की छोटी अवधि के

भीतर पति के घर में मृत्यु हो जाती है, तो उन सटीक परिस्थितियों का आकलन करना काफी मुश्किल होता है जिनमें संकेत हुआ क्योंकि आम तौर पर स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होते हैं क्योंकि घर की चार दीवारों में यातना और उत्पीड़न सीमित होता है।खण्ड पीठ ने यह भी कहा कि अदालतों को उत्पीड़न और यातना के संबंध में सबूतों की ध्यान देंपूर्वक जांच करने के लिए सतर्क रहना चाहिए यदि गवाह मृतक के रिश्तेदार हैं और उनके और उसके ससुराल वालों के बीच संबंध किसी भी कारण से तनावपूर्ण हैं।

27. अंत में श्री गौर का तर्क है कि धारा *304*-बी के प्रावधानों ने अपराध करने के लिए पुरुषों के अधिकार को समाप्त कर दिया था। *1992* आपराधिक कानून जौमल *309*।आर. ए. ए. एक न्यूनतम अपराध के लिए आवश्यक है।इस प्रकार, वह तर्क देते हैं कि प्रावधान अस्पष्टता से ग्रस्त हैं।इस तर्क में कोई बल नहीं है क्योंकि यह साबित करने की आवश्यकता है कि महिला को उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले पति या उसके पति के किसी भी संबंध द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था या दहेज की किसी भी मांग के संबंध में यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विधानमंडल ने दहेज मृत्यु के लिए आवश्यक पुरुष अधिकार को आत्मसात किया था।

28. आई द प्रिस्क्रिबिंगियोफ्ट मिनिमिमजे सेंटीफ़ोर्न्सवियर/दहेज मृत्यु के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा *304*-बी को भी इस संबंध में न्यायिक विवेकाधिकार को छीनने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विधानमंडल ने अपने विवेक से न्यूनतम सजा प्रदान की थी और ऐसे अपराधी को आजीवन कारावास से दंडित करने के लिए न्यायालय पर विवेकाधिकार छोड़ दिया था।"लेंडरजीत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य" *(4)* में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को इस संबंध में लाभ के साथ संदर्भित किया जा सकता है।उस मामले में, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, *1954* की धारा *7* और आई. डी. के प्रावधानों की संवैधानिकता पर चर्चा करते हुए।सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के पैरा सं. *5,6* और *7* में निम्नलिखित टिप्पणी कीः—

> "*5.* यदि कोई सजा, जैसा कि यहाँ अनिवार्य न्यूनतम पर निर्धारित की गई है और जो अनुच्छेद *21* के अनुरूप बहुत क्रूर है और अनुच्छेद *19* के तहत यथोचित रूप से न्यायोचित या सामाजिक रूप से रक्षात्मक होने के लिए बहुत यातनापूर्ण है, तो न्यायिक समीक्षा का मामला उत्पन्न हो सकता है।लेकिन हम यहाँ कुछ भी नहीं देखते हैं।न ही हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि जज-प्रूफ सजा अपने आप में खराब है।कभी-कभी सजा में न्यायिक उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से नरम पक्ष पर जहां सफेदपोश अपराधी शामिल होते हैं, सजा के विधायी मानकीकरण को प्रेरित करते हैं, ताकि भाग्य को बंधक बनाकर सामाजिक सुरक्षा देने से बचा जा सके।अदालत के लिए अभी भी एक व्यापक खेल बचा है, और अनिवार्य न्यूनतम दंड संहिता के दिनों से परिचित हैं,-(खंड *305* के अनुसार)।समान सुरक्षा के निर्देश का उल्लंघन भी नहीं किया जाता है क्योंकि न्यायिक विवेकाधिकार की सीमा के भीतर अदालत प्रत्येक में से स्थापित सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करती है जिसके वह हकदार है।

6. श्री आर. के. गर्ग ने महसूसपूर्वक आग्रह किया कि गरीब और कमजोर, जो खुदरा व्यापारियों का बड़ा, निचला क्षेत्र हैं, यदि खाद्य निरीक्षक उनका अदालत में और कुछ मामूली मामलों में चालान कर सकते हैं तो उन्हें मानकीकृत कारावास का सामना करना पड़ेगा।

(4) ए. आई. आर. *1979* एस. सी. *1867*.अलग-अलग किस्मों में स्नेनेई रचना या लकड़ी बेची जाती है, उन्हें बिना किसी पुरुष कारण के दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि मेरे साथ-साथ डिगर व्यापारी ने अपनी पुरानी वस्तुओं को सामान पर रखा है।हम परेशान चटाई से थक जाते हैं, यह संभव है कि छोटे पुरुष पीड़ित या कठोर व्यक्ति बन जाते हैं, जब कार्यकारी नीति नहीं होती है।रीटी विक्टुलर्स और डिग स्नार्न्स समाज पर अलग-अलग स्तरों पर काम करते हैं और कठोर समानता नरम या अस्थिर नीति होगी।

6. यह संवैधानिकता में दंडात्मक नीति का मामला है और इसलिए यह एक अर्थ में न्यायिक सलाह के लिए सीमा से बाहर है।फिर भी, हम यह कहने के लिए विवश हैं कि समाज की रक्षा के लिए विनियामक प्रावधानों को लागू करने के लिए सौंपे गए सार्वजनिक प्राधिकरण, उचित मामलों में, उन अभियोजनों की जांच कर सकते हैं जो विनम्र लोगों के लिए उत्पीड़न हैं, भले ही वे तकनीकी रूप से कानून का उल्लंघन करते हैं और समाज को केवल न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हैं और यह तय करते हैं कि क्या उन्हें अपने अभियोजन को मंजूरी देनी चाहिए।विधायिका, अपने विवेक में, छोटे अपराधियों के लिए इन व्यापक जाल द्वारा से बड़े अपराधी के भागने के बिना सजा को कम करने के लिए कहीं न कहीं शक्ति रखने की सलाह पर भी विचार कर सकती है।अन्यथा भी, कार्यपालिका में वाक्यों की गणना करने की एक सामान्य शक्ति होती है और इस तरह की शक्ति को सैद्धांतिक आधार पर तब लागू किया जा सकता है जब छोटे लोग कानून के दायरे में आ जाते हैं।

28. थरथेरोइस नहीं!€भारतीय दंड संहिता की धारा *498*-ए, *306* या *304*-बी के तहत अपराध के लिए आरोपी को दंडित करना संविधान के अनुच्छेद *20 (2)* के अधिदेश के लिए अपमानजनक होगा क्योंकि ये सभी प्रावधान विशिष्ट अपराध पैदा करते हैं, हालांकि पत्नी की क्रूरता या उत्पीड़न इसके आवश्यक घटकों में से एक है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-ए के प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि किसी पत्नी द्वारा अपने पति या उसके रिश्तेदार के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अनुमान केवल तभी उपलब्ध होगा जब वह पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का शिकार हो, जबकि दहेज मृत्यु के अनुमान से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-बी में, यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न एक विवाहित महिला द्वारा अप्राकृतिक मृत्यु से तुरंत पहले होना चाहिए।धारा *113*-ए के प्रावधान उन मामलों में आकर्षित किए जाएंगे जहां विवाहित महिला अपने पति या अपने पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का शिकार होती है।दंड संहिता की धारा *498*-ए के स्पष्टीकरण *(ए)* में परिभाषित क्रूरता ऐसी प्रकृति का जानबूझकर आचरण है जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है या गंभीर चोट या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालती है।

*(*प्रावधानों के अनुसार वृक्क संहिता एक विवाहित महिला को दंडित करने के लिए एक विशिष्ट अपराध बनाती है, यदि वे उसे क्रूरता का दोषी ठहराते हैंःइसमें ऐसी अवधि के लिए प्रावधान किया गया है जो तीन साल तक बढ़ सकती है जबकि भारतीय दंड संहिता की खंड *376* के तहत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध दंडनीय है और इसमें जुर्माने की सजा के अलावा दस साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।खंड *304*-बी के प्रावधान विशिष्ट प्रकृति के हैं क्योंकि ये कारावास के अधिरोपण से संबंधित हैं जिसमें कहा गया है कि पति या पति के संबंध ने विवाहित महिला की मृत्यु का कारण बना था।इस प्रकार, कल्पना के किसी भी विस्तार से, इसे दोहरे खतरे का मामला नहीं कहा जा सकता है।नतीजतन यह नहीं कहा जा सकता है कि ये प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद *20*, उपखंड *(2)* में निहित जनादेश का उल्लंघन करते हैं।

31. दहेज मृत्यु और विवाह के सात वर्षों के भीतर एक विवाहित महिला की आकस्मिक मृत्यु के लिए सजा के बारे में अनुमान ठोस कारणों पर आधारित है क्योंकि विवाह के सात साल पत्नी के लिए अपने ससुराल में पुनर्वास करने के लिए पर्याप्त समय है और उसके बाद उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों के कम दहेज लाने के कारण उसकी हत्या होने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि भले ही शुरुआत में ऐसी शिकायत मौजूद हो, यह समय के साथ और हमेशा बच्चों के जन्म के साथ महत्वहीन हो जाता है।इस प्रकार, श्री गौर के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि विवाह के सात वर्षों के भीतर एक विवाहित महिला की मृत्यु और उस अवधि के बाद अन्य विवाहित महिला की मृत्यु के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप भेदभाव हुआ है।दूसरी ओर, यह एक अच्छी तरह से स्थापित वर्गीकरण है और इसका उस उद्देश्य के साथ सीधा संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है यानी दहेज से होने वाली मौतों की बुराई और खतरे पर अंकुश लगाना।इसी तरह दहेज मृत्यु का अनुमान लगाना या पति या विवाहित महिला के पति के अभिजात वर्ग के खिलाफ दहेज मृत्यु के लिए सजा का प्रावधान करना अपनी पत्नियों की हत्या या पति के संबंधों के अन्य अपराधियों के लिए एक ठोस वर्गीकरण है।

32. पूर्वगामी कारणों से, कानून के उपरोक्त सभी निर्दिष्ट प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद *14,21,20 (2)* और *20 (3)* का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।विधायिका ने अपने विवेक में सही कहा हैविवाहित महिला का वर्गीकरण किया गया जिसकी शादी के सात साल की अवधि के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु हो गई और जो सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर लेती है।वर्गीकरण को दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसका उस उद्देश्य के साथ घनिष्ठ संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है यानी दहेज और दहेज से होने वाली मौतों की बुराई पर अंकुश लगाना।इस प्रकार, हम इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बनाए रखते हैं।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *498*-ए और *304*-बी के तहत अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ निचली अदालत में लंबित कार्यवाही से यह पता चलता है कि निचली अदालत ने पहले ही सबूत दर्ज कर लिए थे और मामला अंतिम चरण में है।इसलिए, हम साक्ष्य का मूल्यांकन आदेश के लिए निचली अदालत के पक्ष में कदम रखने से खुद को रोकते हैं।नतीजतन, इस रिट याचिका को किसी भी बल से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाता है, लेकिन मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

33. आपके आदेश का उच्चारण करने के समय, आर।वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारे ध्यान में लाया कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने समाचार पत्र में रिपोर्टिंग के अनुसार दंड संहिता की खंड *309* के प्रावधानों को संविधान के प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र में रखा था, इसलिए यह खंड *306* और खंड *113*-ए के प्रावधानों को भी प्रभावित करेगा जैसे कि प्रमुख अपराध को संविधान के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत माना जाता है, तो किसी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।

34. थर्मेरिसिसफ संःबल*;* यह विवाद*;* जैसा कि न्यायालय ने *'*पी*'* में आत्महत्या करने के प्रयास से संबंधित भारतीय दंड संहिता की खंड *309* के प्रावधानों को खारिज करदिया। रथिनम/नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ और एक अन्य *"(5)*।अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार अन्य बातों के साथ साथ कि यह संविधान के अनुच्छेद*21* का उल्लंघन है क्योंकि किसी व्यक्ति को उसके नुकसान के लिए जीवन के अधिकार का आनंद लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, नापसंद या नापसंद।यह भी माना गया कि आत्महत्या अधार्मिक और अनैतिक नहीं है, जबकि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध हत्या के अपराध के लिए दुष्प्रेरण के रूप में गंभीर है।अपने में विधानमंडल।ज्ञान ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध को भारतीय दंड संहिता की खंड*306* के तहत एक अवधि के लिए कारावास के साथ बनाया था जो दस साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह नहीं कहा जा सकता है कि आत्महत्या करने का प्रयास एक बड़ा अपराध है जबकि आत्महत्या के अपराध के लिए दुष्प्रेरण एक छोटा अपराध है।दूसरी ओर, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण पूरी तरह से एक अलग अपराध है।चीजों की प्रकृति में,आत्महत्या करने के अपराध को संहिता के तहत दंडनीय नहीं बनाया गया है क्योंकि आत्महत्या करने वाले मृत व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।इस प्रकार,आत्महत्या करने के प्रयास का सादृश्य संविधान के अनुच्छेद *21* में निहित स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है-आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण का अपराध भी संविधान के अधिकार अधिकारातीत है क्योंकि आत्महत्या करने का प्रयास संबंधित व्यक्ति का स्वैच्छिक और सुनियोजित कार्य है, जबकि आत्महत्या के अपराध के लिए उकसाना अलग-अलग स्तर पर है क्योंकि तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करके अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर रहा है।इस प्रकार, पी. रथिनम/नागभूषण पटनायक के मामले *(*उपरोक्त*)* में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपात इस मामले की परिस्थितियों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है जिसमें कहा गया है कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद *14* और *21* के अधिकार अधिकारातीत हैं।

अस्वीकरण **:** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझसके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिकउद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्तरहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा